कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / माध्यमिक / शालादर्पण / 60302 / 2018–19 / 54 दिनांक : 06/09/19

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त संस्था प्रधान,
   रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि

विषयः– कक्षा–9 की छात्राओं को शिक्षण सत्र 2019–20 हेतु निःशुल्क साईकिल वितरण शालादर्पण के माध्यम से करने बाबत्।

प्रसंगः– शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28011 / 19–20 दिनांकः– 31.07.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2019–20 के लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाना हैं। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक स्तर

जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन में पिछले सत्र में निर्धारित किए गए नोडल विद्यालयों की मैपिंग दिखाई देगी। यदि नोडल विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कोई परिवर्तन हो तो जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन से तदनुसार परिवर्तन कर सेव करे।

2. नोडल विद्यालय स्तर

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित कर मैपिंग किए गए नोडल विद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों की मैपिंग की जायेगी। यदि विद्यालय पिछले सत्र में भी साईकिल वितरण हेतु नोडल विद्यालय रहा है तो पूर्व में निर्धारित किए गए अधीनस्थ विद्यालयों की सूची उपलब्ध रहेगी। यदि अधीनस्थ विद्यालयों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो तदनुसार परिवर्तन कर सेव करे। नोडल विद्यालय कम्पनी से प्राप्त साईकिलों की प्रविष्टि CYCLE RECEIVED AT NODAL में दर्ज करे। इसी प्रकार अपने अधीनस्थ विद्यालयों को वितरित साईकिलों की प्रविष्टि करें ।

3. विद्यालय स्तर

विद्यालय लॉगिन में SCHEME टैब में सत्र 2019–20 के लिए CYCLE/LAPTOP DISTRIBUTION के अन्तर्गत साईकिल हेतु पात्र छात्राओं को CYCLE DISTRIBUTION ENTRY (BY SCHOOL) में प्रदर्शित कर दिया गया है। विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त छात्राओं में से वे छात्राएं जो कक्षा 9 में पहली बार अध्ययन कर रही है, उनमें से 5 किमी तक की दूरी से आने वाली छात्राएं स्वतः प्रदर्शित होंगी। जिन छात्राओं की

प्रपत्र–9 मे दूरी 5 किलोमीटर से अधिक दर्ज की गयी है वे स्वतः ही ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र मानी जायेगी तथा CYCLE DISTRIBUTION ENTRY (BY SCHOOL) में प्रदर्शित नहीं होगी। यदि किसी छात्रा की दूरी में विसंगति है और इसके कारण छात्रा CYCLE DISTRIBUTION ENTRY (BY SCHOOL) में प्रदर्शित नहीं हो रही है/हो रही है तो ऐसी स्थिति में प्रपत्र–9 में दूरी परिवर्तन हेतु अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें। ध्यान रहे कि **एक से अधिक बार दूरी परिवर्तन करना संभव नहीं है अतः परिवर्तन योग्य समस्त छात्राओं की दूरी एक बार में ही परिवर्तित करवाये।** नोडल से प्राप्त साईकिलों की प्राप्ति कर छात्राओं को वितरित साईकिलों की प्रविष्टि तत्काल CYCLE DISTRIBUTION ENTRY (BY SCHOOL) में किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त विद्यालयों में निःशुल्क साईकिल वितरण को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी (शा.द.)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
4. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (शा.द.)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर